


फर्द अहकाम

व्यक्तिगत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्राथी रेखा विपक्षी ब.शामलाल
 किस्म मुकदमा 21/2/25 पत्रावली संख्या 73/15 सन् 2025

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>11/6/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.शामलाल/संज्ञा.शी.क.न.प</u> के लिबे मौका चाहते है। अतः <u>डि.पु.</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>20/5/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	
	<p>20/6/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.शामलाल/संज्ञा.शी.क.न.प</u> के लिबे मौका चाहते है। अतः <u>डि.पु.</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>24/6/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	
	<p>24/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>27/6/25</u> को पेश हो। डि.पु.</p>	
	<p>27/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>11/7/25</u> डि.पु.</p>	
	<p>11/7/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.शामलाल/संज्ञा.शी.क.न.प</u> के लिबे मौका चाहते है। अतः <u>अतः डि.पु.</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि <u>16/7/25</u> को पेश हो। (SDO) मावली</p>	

16/7/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप वा. कटयमी /सं. 21/1/25
के लिये मौका चाहते है। अतः 24/7/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 24/7/25
को पेश हो।
(SDO) नावली

24/7/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप वा. कटयमी /सं. 21/1/25
के लिये मौका चाहते है। अतः 28/10/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 28/10/25
को पेश हो।

(SDO) नावली

28/10/25
वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप वा. कटयमी /सं. 21/1/25
के लिये मौका चाहते है। अतः 29/10/25
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 29/10/25
को पेश हो।

(SDO) नावली

29/10/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय
स्वयं प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण
मय स्वयं प्रार्थीगण को बार-बार भागजे दिलवाई
गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं
प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थीगण
अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
अदम लजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैसल नुमार होकर नम्बर से कम हों।
निर्णय जुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कमिश्नर
(SDO) नावली